दिनांक 20.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 25/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने की चेष्टा करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने की चेष्टा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश भर से अब तक कुल–14 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर कतिपय पोस्ट इस प्रकार से प्रसारित हो रहे हैं, जिससे लोक व्यवस्था को भंग करने की चेष्टा स्पष्ट होती है। पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल एवं साइबर क्राइम यूनिट द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए 67 सोशल मीडिया एकाउन्ट्स को ब्लॉक कराने की कार्यवाही की गयी है तथा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल की मॉनीटरिंग के माध्यम से हरदोई–1 अम्बेडकरनगर–1, प्रतापगढ़–1, देवरिया–1, सहारनपुर–1, हमीरपुर–1, औरैया–2, प्रयागराज–2 जनपदों में कुल 10 एफआईआर दर्ज करायी गयी है। इसी प्रकार 4 अन्य प्रकरणों में साइबर क्राइम यूनिट द्वारा लखनऊ में मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं। इस प्रकार पिछले 24 घण्टे में अभी तक कुल 14 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। भविष्य में इस तरह की कार्यवाही प्रचलित रहेगी। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर सुनियोजित रूप से विभेदकारी पोस्ट प्रेषित कर रहे है, को पृथक से चिन्हित करके उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा साक्ष्यों के आधार पर रासुका जैसी कार्यवाही को संस्थित करने पर भी विचार किया जाएगा।

———

दिनांक 20.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 24/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस स्मृति दिवस– 2019

जनसेवा का उच्च आदर्श हृदयंगम किये अनेकों पुलिसजन प्रति वर्ष कर्तव्यपथ का अनुगमन करते हुए वीरगति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिस जनों के कार्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसमें कदम–कदम पर जोखिम व जीवनभय सन्निहित है यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुतियॉ देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर–मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिये ऐसी एक गाथा आज से साठ वर्ष पुरानी है।

भारत की उत्तरी सीमा, लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फिट से ऊँचे बर्फ से ढके पर्वतों, दर्रों के बीच जहॉ कि सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, वहां सदैव की भांति उस दिन भी देश की सीमा के सजग प्रहरी ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल'' के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से घिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिये एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया कि वह क्षेत्र उनका है पर भारतीय पुलिस के जवान, जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख–सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर आये थे, अपनी मातृभूति का एक इंच टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। प्राण देकर भी मातृभूमि की रक्षा करने की भारतीय बहादुरों की परम्परा पर उन्होंने आंच नहीं आने दी तथा साधारण शस्त्रों के सहारे ही ये जवान स्वचालित रायफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों से भिड़ गये। इस प्रकार भारतीय पुलिस के दस बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी।

21 अक्टूबर 1959 का यह दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक अनन्य श्रोत बन गया। मातृभूमि की रक्षा के लिये प्राणों का भी उत्सर्ग कर देने वाले बहादुरों का बलिदान सदैव हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इन्हीं वीर जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को सम्पूर्ण भारत के पुलिस जन वीरगति

को प्राप्त हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ''शत्–शत् नमन्'' उन बहादुरों को जिनके लिये कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा।

दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से 31 अगस्त, 2019 तक की अवधि में सम्पूर्ण भारत में कुल 292 पुलिसजनों ने अपनी प्राणाहुतियॉ दी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 05 पुलिसजन भी सम्मिलित हैं।

1. स्व0 श्री सुबोध कुमार सिंह, निरीक्षक–982510304 ना0पु0, जनपद–बुलन्दशहर।

दिनांक 03.12.2018 को जनपद बुलन्दशहर के थाना स्याना क्षेत्र के अन्तर्गत गांव महाव के जंगल में गोकशी की घटना की सूचना प्राप्त होने पर श्री सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक स्याना मय फोर्स के शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु ग्राम महाव पहॅुचे। गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर उपद्रव कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक द्वारा काफी समझाया गया किन्तु वे लोग नहीं माने और पथराव कर दिया। चौकी चिंगरावठी के सामने भीड़ जाम लगाकर हिंसात्मक कार्यवाही करने लगी। मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात कहते हुये भीड़ को काफी समझाया गया। किन्तु इसके बाद भी भीड़ उग्र हो गयी और अवैध असलहों, धारदार हथियारों आदि से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। राजकीय व प्राइवेट सम्पत्तियों को आग लगा दी गयी। शान्ति एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु श्री सुबोध कुमार सिंह भीड़ में घुसकर लोगों को समझाया–बुझाया गया, किन्तु उपद्रवियों ने इनको गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी ।

इस प्रकार श्री सुबोध कुमार सिंह, निरीक्षक द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गयी ।

2. **स्व0 श्री सुरेश प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी ना0पु0–892031162, जनपद गाजीपुर ।**

दिनांक 29.12.2018 को थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर अन्य साथियों के साथ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में थे। थाना नोनहरा पुलिस चौकी अटवामोड़ बाजार के आगे गाजीपुर मार्ग पर पहॅुचे तभी आर0टी0 सेट से सूचना प्राप्त हुई कि उपद्रवियों द्वारा हाथ में बैनर झण्डा व लाठी डण्डा लेकर जाम लगाया गया है। पुलिस टीम द्वारा उपद्रवियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की नियत से एवं वाहनों को क्षतिग्रस्त करने हेतु लगातार पथराव किया जाने लगा। इस पथराव में मुख्य आरक्षी सुरेश

प्रताप सिंह के सिर पर गम्भीर चोट लगी तथा वह गिर पड़े। इन्हें जिला चिकित्सालय गाजीपुर लाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गयी ।

इस प्रकार श्री सुरेश प्रताप सिंह मुख्य आरक्षी ना0पु0द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गयी ।

3. स्व0 श्री हर्ष चौधरी, आरक्षी–162552892, जनपद–अमरोहा।

दिनांक 27.01.2019 को प्रभारी निरीक्षक, बछरायूॅ जनपद अमरोहा मय फोर्स के शान्ति व्यवस्था एवं तलाश वांछित अपराधी हेतु रवाना हुये। घण्टाघर चौराहे पर पहुंचने पर मुखबिर खास ने बताया कि यहॉ से थोड़ा आगे जंगल में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शिव औतार उर्फ शिविया ईख के खेत में अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल की दो टीमें बनाकर प्रभारी निरीक्षक की टीम कच्चे रास्ते से तथा द्वितीय टीम ट्यूबबेल के पीछे की तरफ से दबे कदमों से आगे बढ़े। पुलिस को आता देख अपराधी अचानक फायर करता हुआ गेहूं के खेत की ओर भागा। पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर ईख के खेत में घुसकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। प्रथम पार्टी में शामिल आरक्षी हर्ष चौधरी द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुये अदम्य साहस, शौर्य एवं वीरता का परिचय देते हुए आगे बढ़कर इसका पीछा किया गया। इसी बीच आरक्षी हर्ष चौधरी पर खेत में छिपे बदमाश ने अचानक जान से मारने की नीयत से सामने से फायर कर दिया। बदमाश की गोली से घायल होकर आरक्षी हर्ष चौधरी गिर पड़े। आरक्षी हर्ष चौधरी को उपचार हेतु टी0ए0एम0यू0 मुरादाबाद अस्पताल में लाने पर डाक्टरों द्वारा आरक्षी को मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य पुलिस टीम फायर करते हुये आगे बढ़े। जवाबी कार्यवाही में गन्ने के खेत से बदमाश की तरफ से फायरिंग होनी बंद हो गयी। आगे बढ़कर देखा कि बदमाश घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे चिकित्सालय सी0एच0सी0 धनौरा रवाना किया गया ।

इस प्रकार श्री हर्ष चौधरी, आरक्षी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गयी ।

4. स्व0 श्री हरेन्द्र सिंह, आरक्षी—812640672, जनपद सम्भल।

5. स्व0 श्री बृजपाल सिंह, आरक्षी—142530218, जनपद सम्भल ।

दिनांक 17.07.2019 को आरक्षी हरेन्द्र सिंह व आरक्षी बृजपाल सिंह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ 21 मुल्जिमों को पेशी हेतु जनपद मुरादाबाद कारागार से न्यायालय चन्दौसी ले जाया गया था। पेशी के उपरान्त 21 पुराने मुल्जिम व न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले 03 नये मुल्जिमों को अर्थात कुल 24 मुल्जिमों को लेकर वापस जिला कारागार मुरादाबाद दाखिल करने हेतु ले जा रहे थे। समय 17.20 बजे थाना बनियाठेर क्षेत्रान्तर्गत धन्नूमल तिराहे के आगे चन्दौसी ग्रीन के पास अभियुक्त शकील पुत्र नूर मोहम्मद, कमल पुत्र जंग बहादुर, धर्मपाल पुत्र देशराज द्वारा गाड़ी में पीछे बैठे आरक्षी गणों की आंखों मे मिर्ची पाउडर डालकर फायरिंग की गयी। इस फायरिंग में गोली लगने से आरक्षी हरेन्द्र सिंह एवं आरक्षी बृजपाल सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये। इन्हें उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में दोनों आरक्षियों की मृत्यु हो गयी ।

इस प्रकार श्री हरेन्द्र सिंह, आरक्षी व श्री बृजपाल सिंह, आरक्षी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्यपथ पर आत्मोत्सर्ग किया गया ।

जनपद मेरठ/थाना सरूरपुर

पुलिस कार्यवाही में 75 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी ढेर

- **02 बंदूक देशी 12 बोर, 23 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस**
- **02 तमंचा 315 बोर, 11 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस**
- **मोटरसाइकिल आदि बरामद**

जनपद मेरठ पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19.10.2019 को थाना सरूरपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चकरोड से 100 मीटर पहले ट्यूबवेल के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो, बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे उपनिरीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह व आरक्षी तरूण कुमार के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लग गयी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में एक बदमाश हो गया, जिसकी शिनाख्त संजीव उर्फ पकौड़ी के रूप में हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने अभियुक्त संजीव पकौड़ी को मृत घोषित कर दिया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। मृतक अभियुक्त के कब्जे/मौके से 02 बंदूक देशी 12 बोर, 23 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस, 02 तमंचा 315 बोर, 11 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस, व मोटरसाइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि मृतक अभियुक्त के विरूद्व जनपद मेरठ, गाजियाबाद, बागपत के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर अधि0 व आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। मृतक अभियुक्त थाना थाना सरूरपुर जनपद मेरठ पर

पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2017 धारा 302, 120बी भादवि व थाना छपरौली जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2015 धारा 147, 149, 302, 364, 201, व 34 भादवि में

वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद मेरठ से 50,000 रू0 व जनपद बागपत से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरूरपुर द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृतक अभियुक्त

1– संजीव उर्फ पकौड़ी पुत्र नरेन्द्र निवासी सरूरपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–02 बंदूक देशी 12 बोर, 23 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस
2–01 पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस
3–02 तमंचा 315 बोर, 11 जीवित कारतूस, 03 खोखा कारतूस
3–मोटरसाइकिल

मृतक अभियुक्त संजीव उर्फ पकौड़ी पुत्र नरेन्द्र निवासी सरूरपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ का अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
1	420/2012	307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
2	769/2012	147, 148, 149, 302 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
3	129/2013	110 जी गुण्डा एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
4	323/2014	394, 411 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
5	181/2015	147, 149, 302, 364, 201, व 34 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
6	158/2015	392 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
7	148/2017	302, 120बी भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
8	498/2017	174ए भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
9	409/2017	25/27 शस्त्र अधि0 थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
10	132/2018	2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
11	298/2019	394, 342 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
12	408/2019	307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

<u>जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज</u>

- **20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 20.10.2019 को थाना शिवरतनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना शिवरतनगंज क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी मुनव्वर अली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवरतगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/19 धारा 302,120बी,352,504,307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मुनव्वर अली निवासी गोयन थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

<u>जनपद मथुरा/थाना हाईवे</u>

- **15–15 हजार रू0 के दो पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20.10.2019 को थाना हाईवे व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महोली रोड पुल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी मानवेन्द्र व बौलर उर्फ विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना हाईवे पर पंजीकृत मु0अ0सं0 974/19 धारा 147, 148, 149, 307, 395 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मानवेन्द्र निवासी खामिनी थाना हाईवे जनपद मथुरा।

2–बौलर उर्फ विजय सिंह निवासी नगला घीसा थाना वृंदावन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

जनपद/देवरिया थाना तरकुलवा

- **10,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 20.10.2019 को थाना तरकुलवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चांद चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी राज उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2019 धारा 302,201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राज उर्फ प्रदीप कुशवाहा निवासी चॉदनी चौक थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

————————